अण्डमान तथा Andaman And



निकोबार राजपत्र Nicobar Gazette

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाचित Published by Authority

सं. 33, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 11 मार्च, 2015 No. 33, Port Blair, Wednesday, March 11, 2015

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 11 मार्च, 2015

सं. 31/2015/फा. सं. 4—118/2014 (पंचायत).— दिनांक 27.01.2015 के सरकारी राजपत्र सं. 29/2015 में पूर्व प्रकाषन के बाद अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 202 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रषासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार (पंचायत) (निर्वाचक नामावली की तैयारी और चुनाव का आयोजन) नियमावली, 1995 में निम्नलिखित संषोधन करते हैं, अर्थात् :—

- 1. (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) (निर्वाचक नामावली की तैयारी तथा चुनाव का आयोजन) (संषोधन) नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) ये इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रभावी माना जाएगा ।
- 2. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) (निर्वाचक नामावली की तैयारी और चुनाव का आयोजन) नियमावली, 1995 के अध्याय 1 के नियम (2) के उप—नियम (6) के तहत निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए :—
 - " 'उपायुक्त' से इन नियमों के प्रयोजन के लिए संबंधित जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है"।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेष से तथा उनके नाम पर,

ह./— सहायक सचिव (पंचायत)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 11th March, 2015.

No. 31/2015/F.No. 4-188/2014 (Panch.).— In exercise of the powers conferred by Section 202 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, after making prepublication in the Official Gazette No. 29/2015 dated 27.01.2015, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is pleased to make the following amendment to the Andaman and Nicobar (Panchayats) (Preparation of Electoral Roll and Conduct of Election) Rules, 1995, namely:-

- 1. (i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) (Preparation of Electoral Roll and Conduct of Election) (Amendment) Rules, 2015.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) (Preparation of Electoral Rolls and Conduct of Election) Rules, 1995 under Chapter-I, Sub-rule (6) of rule (2) shall be substituted as under:-

"Deputy Commissioner' means the Deputy Commissioner of respective District for the purposes of these Rules".

By order and in the name of the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands.

Sd./-**Assistant Secretary (Panchayat)**